BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 03 जनवरी, 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर लूट के आरोपी को 07 वर्ष, 10 माह व 04 दिन का कारावास व 1,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र वीरपाल निवासी ग्राम पापडी थाना अहमदगढ जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2016 में लूट करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना सलेमपुर पर मुअसं–498/16 धारा 392,411 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 17.03.2017 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 01 गवाह परिक्षित हुआ, जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 03.01.2025 को न्यायाधीश श्री अर्जुन डबास (मा0 न्यायालय एसीजे/एसडी-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू को 07 वर्ष, 10 माह व 04 दिन का कारावास व 1,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री मृत्युंजय सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर।